

02-11-2022

राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक
अभियोजक श्री सतीश वर्मा उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री एस.सी.
जोशी अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा
438 दप्रस 1973 पर केस डायरी, प्रतिवेदन व तर्क हेतु
नियत है।

थाना भानपुरा से केस डायरी एवं प्रतिवेदन
प्रस्तुत नहीं।

आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा
उक्त जमानत आवेदन पत्र पर कोई बल न देना व्यक्त
किया गया। अतः आवेदन पत्र पर बल न दिये जाने के
कारण गुण दोष पर विचार किये बिना
आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन
पत्र अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. 1973 निरस्त किया जाता



अपर सत्र न्यायाधीश
भानपुरा जिला-मन्दसौर (म प्र)

आवेदन पर
बल न देना
देख


ORDER SHEET *(cont.)*

11 - 155
C. J.



THE COURT _____
_____ of 20

Date of Order or Proceeding	Order of proceeding with Signature of Presiding officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	है। जमानत पत्रावली आवश्यक पूर्ति उपरांत समयावधि में अभिलेखागार में प्रेषित हो। <i>(Signature)</i> (जितेन्द्र कुमार पाराशर) अपर सत्र न्यायाधीश भानपुरा, जिला मंदसौर, म.प्र.	